राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023 जयपुर दिनांक 27 SEP 2023

::अधिसूचना::

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु निम्नलिखित विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है :-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, किशनगढ	अजमेर	किशनगढ

नोटः- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/23/23/..1626.. Date: 13./10/2023

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The concerned District & Sessions Judge.
3. The concerned Chief Judicial Magistrate,
4. The concerned court through District & Sessions Judge.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.

13.10.2023

REGISTRAR (RULES)